बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

श्री राजीव कुमार, आपूर्ति निरीक्षक के सरायरंजन, समस्तीपुर में पदस्थापन के दौरान निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना द्वारा इनके विरूद्ध 50,000/– रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने तथा निगरानी थाना काण्ड संख्या–25/2022 दिनांक–31.05.2022, धारा–7(a)(c)/12 भ्र0नि0अधि0, 1988 (संशोधित अधिनियम–2018) दर्ज किये जाने संबंधी प्राप्त सूचना के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक–2740 दिनांक–16.06.2022 द्वारा निलंबित किया गया। उक्त के क्रम में जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र प्रपत्र 'क' के आलोक में प्रतिवेदित आरोप की विस्तृत जाँच हेतु विभागीय ज्ञापन ज्ञापांक–3895 दिनांक–31.08.2022 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में इनके विरूद्ध प्रतिवेदित प्रमाणित आरोप के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक–505 दिनांक–25.01.2024 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–14 के संगत प्रावधानों के तहत बर्खास्तगी का दण्ड संसूचित किया गया। तद्‌लोक में श्री कुमार द्वारा उक्त संसूचित दण्डादेश के विरूद्ध माननीय मंत्री–सह–अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया। माननीय मंत्री–सह–अपीलीय प्राधिकार द्वारा सुनवाई के क्रम में दिनांक–25.07.2025 को पारित आदेश के माध्यम से श्री कुमार के विरूद्ध संसूचित दण्डादेश ज्ञापांक–505 दिनांक–25.01.2024 को निरस्त कर दिया गया। साथ ही, अभिलेख पुनर्विचार हेतु Remand करते हुए अपीलार्थी को सुनवाई हेतु अवसर प्रदान कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु आदेशित किया गया।

उक्त के क्रम में अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक–2190 दिनांक–01.09.2025 द्वारा श्री कुमार को सेवा में पुनःबहाल कर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–9(4) के आलोक में बर्खास्तगी के मूल आदेश की तिथि (25.01.2024) से निलंबित किया गया। साथ ही, विभागीय पत्रांक–2500 दिनांक–22.09.2025 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–18(2) एवं 18(3) में निहित प्रावधान के आलोक में श्री कुमार से लिखित बचाव बयान की माँग की गयी।

उक्त के आलोक में श्री कुमार द्वारा दिनांक–06.10.2025 को स्वयं का लिखित बचाव बयान समर्पित किया गया। श्री कुमार द्वारा समर्पित लिखित बचाव बयान की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर से की गई। सम्यक् समीक्षोपरान्त श्री कुमार को निलंबन से मुक्त करते हुए पुनः विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार आदेश निर्गत की तिथि से श्री राजीव कुमार, निलंबित आपूर्ति निरीक्षक (निलंबन अवधि में मुख्यालय– उप निदेशक (खाद्य), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर) को निलंबन से मुक्त किया जाता है।

साथ ही, श्री कुमार के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा गठित एवं उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों की पुनः जाँच बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–18(1) के तहत करने हेतु जाँच प्रतिवेदन श्री विनोद कुमार तिवारी, विशेष कार्य पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना–सह–संचालन पदाधिकारी को वापस की जाती है।

संचालन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि जाँचोपरान्त वांछित जाँच प्रतिवेदन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

आदेश पर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

(उपेन्द्र कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

2025/Other Order/Rajiv Kumar.doc

ज्ञापांक–प्र08–गो0आ0(समस्तीपुर)–17 / 2022(खंड)– 272 खाद्य, पटना / दिनांक– 15/01/2026

प्रतिलिपि–1. प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर / जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर / जिला आपूर्ति पदाधिकारी, समस्तीपुर / अनुमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर सदर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप निदेशक (खाद्य), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. श्री विनोद कुमार तिवारी, विशेष कार्य पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना–सह–संचालन पदाधिकारी (आरोप पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति के साथ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, समस्तीपुर–सह–साक्ष्य उपस्थापन पदाधिकारी (आरोप पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति के साथ) को निदेश दिया जाता है कि संचालन पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर प्रस्तुत मामले में सुनवाई के निमित अपेक्षित सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे।

5. प्रशाखा पदाधिकारी–03 एवं आई0 टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6. श्री राजीव कुमार, निलंबित आपूर्ति निरीक्षक (मुख्यालय–उप निदेशक (खाद्य), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर का कार्यालय), मोबाईल सं0–7004344651 को निदेशित किया जाता है कि निलंबन मुक्ति के पश्चात् विभागीय मुख्यालय (खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग) में अपना योगदान समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

15/01/2026

सरकार के संयुक्त सचिव।